# भेरूलाल बनाम दीपक कुमार

अपील संख्या : 2023/ 203

| | |
|---|---|
| 04.10.2023 | विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत की ओर से यह अपील धारा अन्तर्गत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखंड अधिकारी ईटावा के प्रकरण संख्या 55/2023 निर्णय 21.07.2023 के विरुद्ध मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी भी प्रस्तुत किया है।<br><br>विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी व स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट कम 2 व 3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2023 के अनुसार साधिकार विधि सम्मत तरीके से अपील विषयक आराजी में निहीत अपने हिस्से के अनुसार निरन्तर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलाण्ट कम 2 व 3 के हित व अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अपीलाण्ट उक्त आलोच्य आदेश से एग्रीव्यड पक्षकार है और अपीलाण्ट कम 2 व 3 के हित व अधिकार की सुरक्षा व न्यायालय प्राप्ति के लिए माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाण्ट कम 2 व 3 के अपील विषय आराजी मे हित व अधिकार निहित है व अपीलाण्ट कम 2 व 3 के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे है जिसके संबंध मे अपीलाण्ट कम 2 व 3 द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाण्ट के अपील विषय आराजी मे हित व अधिकार निहित है व अपीलाण्ट के हित व अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थीगण ने आदेश जैर अपील न्याय एंव संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट पर बिना तामील करवाये एकतरफा बहस सुनकर अधिवक्ता प्रार्थी के कथन पर सहमत होकर अपील विषय के सम्बन्ध मे अपीलांट क्रम 1 विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधता पारित की जाये कि आराजी खाता संख्या नया 79 पुराना 74 के खसरा नम्बर 104, 109, 127, 94, 98 कुल किता 5 कुल रकबा 2.49 है। वाके ग्राम उम्मेदपुरा खाता संख्या नया 112 पुराना 107 के खसरा नम्बर 88, 89, 93 कुल किता 3 कुल रकबा 1.11 है। वाके ग्राम उम्मेदपुरा व खाता संख्या नया 80 पुराना 75 के खसरा नम्बर 1,2,3,4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,76 कुल किता 14 कुल रकबा 5.17 है। ग्राम उम्मेदपुरा खाता संख्या नया 104 पुराना 51 के खसरा नम्बर 92 रकबा |

1.08 है। कुल किता 1 का रकबा 1.08 है।

वाके ग्राम श्योपुरा पटवार हल्का बम्बूलिया कलां व खाता संख्या नया 169 पुराना 167 खसरा नम्बर 92/313 रकबा 0.70 है। वाके माल श्योपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है जिसमे (अप्रार्थी कम 1) अपीलांट कम 1 स्वयं व अन्य किसी से किसी किस्म की मदाखलत–मजाहमत निर्माण कार्य, रहन, दान, बैचान, वसीयत, रिलीज डीड आदि नहीं करे और बाधा व्यवधान न तो स्वयं पहुंचाये, न ही अपने प्रतिनिधियों से पहुंचाने का आदेश जैरे अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेण्ट कम 1 अपील विषयक आराजी का खातेदार टीमेन्ट काबिज काश्त नही है तथा रेस्पोडेण्ट कम 1 ने अपील विषयक आराजी पैतृक भूमि बताते हुये बटवारा की मांग के साथ स्थगन की प्रार्थना चाहते हुये वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कानूनन पिता के जीवित रहते हुये उसकी संताने सम्पति मे हिस्से का हकदार नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश और अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोजेण्ट कम 1 ने तथाकथित रूप से अपने आप को अपीलाण्ट कम 1 का दत्तक पुत्र बताते हुये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कानूनन जब तक रेस्पोडेण्ट कम 1 सिविल न्यायालय में गोद पुत्र की घोषणा नही करवा लेता तब तक रेस्पोडेण्ट कम 1 अपील विषयक भूमि के सम्बन्ध में कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। सिविल न्यायालय से गोदपुत्र की घोषणा के अभाव मे अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेण्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि कारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेण्ट कम 1 अपीलाण्ट कम 1 का गोद पुत्र नहीं है, रेस्पोडेण्ट कम 1 रामनिवास (रेस्पोडेण्ट कम 2) का पुत्र है। रेस्पोडंट कम ने अधीनस्थ न्यायालय गोद के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये है एव तथाकथित रूप से अपने आपको अपीलाण्ट कम का दत्तक पुत्र बताते हुये वाद एंव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश और अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पारित आदेश प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष देते हुये ही पारित किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट कम 1 के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति जैसे तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई निष्कर्ष कारण अभिलिखित किये बिना ही निर्णय

जैरे अपील पारित किया है जो नोन स्पीकिंग निर्णय होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अपील विषय आराजी अपीलाण्ट कम 1 य रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 14 के रिकोर्डड खातेदारी में दर्ज है उक्त अपील विषयक आराजी दाया प्रस्तुत करने के पूर्व ही अपीलाण्ट कम में उपरोक्त वर्णित अपने संयुक्त खातेदारी व काश्त की आराजी में निहीत अपना हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2023 के मार्फत अपीलाण्ट कम 2, 3 को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। इस प्रकार अपीलाण्ट कम 2 व 3 बाद खरीद से उक्त अपील विषयक आराजी पर बतौर खातेदार टीनेन्ट निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेण्ट कम 1 को होने के बावजूद भी रेस्पोडेण्ट कम ने तथ्य छुपाकर मिथ्या तथ्य अंकित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से आदेश पारित करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण व विधि के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपील विषयक आराजी पर अपीलाण्ट कम 2 व 3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2023 के अनुसार साधिकार विधि सम्मत तरीके से काबिज काश्त निरन्तर चले आ रहे है और उनकी हैसियत खातेदारी की है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैरे अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। कानूनन रिकोर्डेड खातेदार व संयुक्त रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध व काबिज काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को नजर अन्दाज कर मनमर्जी से आबिट्रेरी रूप से आदेश जैर अपील पारित करने में विधि की गम्भीर त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है व यदि अप्रार्थी कम 1 (रस्पोडेण्ट कम 1) अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में उक्त अपील विषयक भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है। जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यदि अप्रार्थी कम 1 अपने कृत्य में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति रूपयो/पैसो में नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतरिम प्रकृति का है तो भी इस आदेश की अपील की जा सकती है। अंतरिम आदेश की अपील की जा सकती है, इसके सम्बंध में कई न्यायिक दृष्टांत है। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही है तथा प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण नहीं हो रहा है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 को निरस्त फरमाये जाकर वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की सत्यप्रतिलिपी दिनांक 21.07.2023 पर प्रश्नगत आदेश अंकित है अधीनस्थ

न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.07.2023 पर अंकित है कि प्रार्थना–पत्र दर्ज किया गया। बहस एकतरफा सुनी गई। तथा पत्रावली वास्ते तलबी में नियत कर आगामी पेशी दिनांक 18.08.2023 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अंकित आदेश दिनांक 21.07.2023 प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनकर जारी किया गया 'अन्तरिम प्रकृति' का आदेश है। इसी आदेश में तलबी करने तथा यह भी अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण इस संबंध में कोई जवाब आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होकर पेश कर सकते है अतः प्रश्नगत आदेश के अवलोकन व भाषा से स्पष्ट है कि यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है तथा अप्रार्थीगण अपीलांट अपना जवाब व पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रख सकते थे। अतः हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश दिनांक 21.07.2023 में कोई हस्तक्षेप वर्तमान में किया जाना उचित नहीं है। हालांकि हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि अंतरिम आदेश की अपील हो सकती है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या हस्तक्षेप का कोई बिन्दु वर्तमान में प्रथम दृष्ट्या प्रतीत नहीं होता। अपीलांटगण अप्रार्थीगण को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण के अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर होने के बावजूद उन्होनें अधीनस्थ न्यायालय में कोई पक्ष नहीं रखा। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही तथा हमारे प्रकरण का निर्णय शीघ्र नहीं होगा। इस सम्बंध में हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए शीघ्र प्रकरण को निस्तारण करना चाहिए। परन्तु हमारे मत में हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.07.2023'अन्तरिम प्रकृति' का आदेश है तथा पहले अपीलांटगण अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होकर हस्तगत प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाने हेतु उपस्थित होना चाहिए। पत्रावली वर्तमान स्तर पर बिना हस्तक्षेप करते हुए इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार यथासंभव प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा